

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 2.11.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 2.11.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये। निर्णय की क्रियान्विति हेतु मा0 मंत्री महोदय से प्रशासनिक स्वीकृति ली जावे।  
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है।  
आवास योजना में अब तक 93625 रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध 60000 की स्वीकृति जारी कर 30000 परिवारों को प्रथम किस्त रिलीज की गयी। पीएफएमएस में विलम्ब हो रहा है। इस हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।
3. योजना में वर्ष 2014-15 के सभी स्वीकृतियों हेतु लक्ष्य के अनुरूप समस्त स्वीकृतियाँ जारी करायी जाए तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लक्ष्य के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य सरेन्डर हेतु भारत सरकार को लिखा जाए।  
(एसई, ग्रा.वि.)
4. एमएलए लैंड व एमपी लैंड योजना में कार्यों की अभिशंषा करने हेतु संबंधित माननीय विधायक/सांसद को पासवर्ड उपलब्ध कराये जाए। पासवर्ड उपलब्ध होने पर मा0 मंत्री महोदय की ओर से माननीय विधायकों/सांसदों को पत्र जारी किया जाए, जिससे वे अपने अनुशंषा सीधे ही आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर में डाल सकें। जिससे कि कार्य की स्वीकृति समय पर निकल सकें।  
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)
5. डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी, एमपी लैंड, एमएलए लैंड, गुरु गोलवलकर जनभागीदारी, स्वविवेक योजना में जिन मामलों में स्वीकृति एस/एफएस में अन्तर है उनकी पहचान कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करावें तथा परियोजना अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर वार्षिक आवंटन की 150 प्रतिशत की स्वीकृतियाँ जारी करावें।  
(योजना प्रभारी)
6. ए- ऐसी ग्राम पंचायतें (1310) जिनमें में टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उनकी समीक्षा करें एवं उन्हें पत्र जारी करा कर उनकी टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए।  
(वित्तीय सलाहकार)
7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 178 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिन्हें वैबसाइट पर डाल दिया गया है।  
(पीडी,एसएपी)
8. डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी में अतिरिक्त आवंटन बीएडीपी में 40 करोड रुपये व मगरा 10 करोड की राशि की स्वीकृतियों हेतु आगामी कार्यवाही की जाए।  
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)
9. बीएडीपी में इस वर्ष आवंटन के विरुद्ध गत वर्ष जारी की गई आधिक्य स्वीकृतियों को समायोजित कर शेष उपलब्ध राशि में 150 प्रतिशत के बराबर स्वीकृति जारी करावें।  
(योजना प्रभारी)

  
31/11/15

10. जिला प्रभारी को निर्देशित किया जाये कि कार्यान्वयन स्वीकृति के संबंध में नई ग्रामीण कार्य निर्देशिका लागू होने के बाद आ रही कठिनाईयों की सूचना वर्ष 2015-16 के भ्रमण पर जा रहे समस्त जिला प्रभारी/योजना प्रभारी लेकर आयें।

(जिला प्रभारी/योजना प्रभारी)

11. विधान सभा के 21 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग-6 व एसएपी अनुभाग-8 एवं आवास के -5 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

12. दिनांक 19.10.2015 को परियोजना अधिकारियों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर भिजवाया जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

13. इस माह सबसे कम प्रगति वाले 8 जिलों में से 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आगामी सप्ताह में मुख्यालय पर बुलाकर बैठक आयोजित की जाए।

14. आजीविका परियोजना में 3-4 अधिकारी एक जिले में 3 दिवस का स्टे कर उस जिले में आ रही समस्याओं का निस्तारण करते हैं उसी प्रकार ग्रामीण विकास योजनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु सबसे कम प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों का एक दल भेजा जाए और वह 3 दिवस तक जिले में रहकर जिले की समस्त कठिनाईयों का समाधान कर प्रगति को बढ़ाये।

(योजना प्रभारी)

15. सभी योजना प्रभारी 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियों जारी कराने के आदेश कराए। आईडब्ल्यूएमएस में आवंटन को 150 प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये ताकि 150 प्रतिशत तक स्वीकृतियों जारी हो सके।


(समस्त योजना प्रभारी)

16. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)


17. विभागीय वेबसाइट सही ढंग से नहीं खुलती है। इसे ठीक किया जाए। नवीनतम सूचनाएं अधिकतम 15 दिवस तक रखी जाए।

(प्रोग्रामर)

  
परिनिदेश एवं पदेन  
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रा.वि. विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि. विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति० मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि. विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
परिनिदेश एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)